वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 29 .07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला, दैनिक जागरण,हिंदुस्तान,आज,आईनेक्स्ट,न्यायाधीश ,," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 29.07.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण किए सील

वाराणसी। वार्ड-नगवां में वरुण पाठक और पीएस वर्मा की ओर से बजरंग नगर के पास डाफी में रैनबो हॉस्पिटल के नाम से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए करीब छह हजार वर्गफीट पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। वीडीए की टीम ने कार्रवाई कर इसे सील कर दिया। वहीं, भेलूपुर में मोहम्मद मूसा के बिना मानचित्र स्वीकृत हुए भवन निर्माण को भी सील कर दिया। इस मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार और अवर अभियंता आदर्श निराला मौजूद रहे। ब्यूरो

दैनिक जागरण –दि0 29.07.2025

वीडीए ने रैनबो अस्पताल संग दो निर्माण किए सील

वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि नगवां वार्ड के बजरंग नगर डाफी के पास वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर छह हजार वर्ग फीट में रैनबो हास्पिटल वरुण पाठक और पीएस वर्मा बनवा रहे थे। अवैध निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था, फिर भी अवैध निर्माण जारी रहा। उधर, भेलूपुर वार्ड के गौरीगंज में मोहम्मद मूसा अवैध निर्माण कर रहे थे। इन्हें भी नोटिस जारी करने के साथ अवैध निर्माण बंद करने को कहा गया था। भवनों को सील करने के साथ लंका पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। (जासं)

हिन्दुस्तान –दि0 29.07.2025

बजरंग नगर में निर्माणाधीन रेनबो अस्पताल सील

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने डाफी स्थित बजरंगनगर में निर्माणाधीन रेनबो अस्पताल सील किया। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कराया जा रहा था। उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 में कार्यवाही की गई। वहीं गौरीगंज में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण न करने पर भवन को सील किया गया। इस मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, जेई आदर्श निराला रहे।

आज –दि0 29.07.2025

नवनिर्मित भवन हुए सील

विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देश पर आज सोमवार को भेलूपुर जोन में बिना मानचित्र के बनाये जा रहे भवन के खिलाफ सीलिंग काररवाई की गयी। नगवा वार्ड के वरूण पाठक, पी.एस. वर्मा, बजरंग नगर डाफी में रैन्बों हास्पिटल के नाम से लगभग ६००० वर्ग फुट में निर्माण किया जा रहा है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची विप्रा अभियंताओं की टीम ने पुलिस सुपरवाइजर की मौजूदगी में भवन को सील कर दिया। इसी प्रकार भेलूपुर में आराजी नम्बर ४८८ और ४८९ में बिना मानचित्र के मोहम्मद मूसा नामक व्यक्ति ने भवन निर्माण करा रहें थे। संबंधीत भवनस्वामी को पूर्व में नोटिस जारी करके तत्काल बंद कराने का निर्देश जारी किया गया लेकिन नोटिस की अनदेखी करते हुए चोरी छूपे रात्रि के समय भवन का निर्माण कार्य जारी रहा। मौके पर पहुंचे अभियंताओं ने भवन को सील कर दिया और संबंधीत थाने की अभिरक्षा में सौप दिया। काररवाई में जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला मौजूद थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आईनेक्स्ट –दि0 29.07.2025

डेवलपमेंट नो वाटर, ओनली रिचार्ज की तर्ज पर डेवलप हो रहा 14 हजार घन मीटर में तालाब

नेट जीरो वॉटर सिस्टम रिसोर्सेज का हब बनेगा गंजारी

i UPDATE

तालाब किनारे बनेंगे पाथवे, फूडकोर्ट भी होगा मॉडल

varanasi@inext.co.in

VARANASI (28 July): नेट जीरो वाटर रिसोर्सेज का हब बनेगा गंजारी. वाराणसी विकास प्राधिकरण 14 हजार घन मीटर में एक ऐसा मॉडर्न तालब डेवलप कर रही है जो नेट जीरो वाटर रिसोर्सेज पर कार्य करेगा. यानी जितना पानी वहां से लिया जाएगा, उतना ही पानी का रिचार्ज किया जाएगा. माडर्न तालाब ऐसा रहेगा जिसके चारों तरफ वाकिंग के लिए पाथवे बनाया जाएगा. साथ ही तालाब के ऊपर सोलर पैनल भी लगाया जाएगा.

2 लाख लोग होंगे कवर

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि तालाब को इस तरह डेवलप किया जाएगा कि तालाब का वाटर लेवल हमेशा बरकरार रहे. इस तालाब के माध्यम से टाउनशिप, स्पोर्ट्स स्टेडियम को भी फायदा होगा. साथ ही आसपास के एरिया में रहने वाले करीब 2 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी. तालाब के बन जाने पर आसपास के एरिया में पानी की क्राइसिस नहीं होगी.

ग्रीन बेल्ट से लैस होगा तालाब

तालाब के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट एरिया बनाया जाएगा, जिससे तालाब में जल स्रोत मेंटेन रहे. चारों तरफ पर्यावरण के अनुकूल पौधे लगाए जाएंगे जिससे आसपास का एरिया भी पर्यावरण के लिए अनुकूल रहेगा. तालाब के डेवलपमेंट की स्थिति कैसी चल रही, यह जानने के लिए वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग व सचिव वेद प्रकाश मिश्रा ने निरीक्षण किया.

14 हजार घन मीटर में डेवलप होगा तालाब

02 लाख लोगों को मिलेगी राहत

गंजारी में तालाब का निरीक्षण करते वीडीए उपाध्यक्ष.

सीसीटीवी से लैस होगा एरिया

गंजारी में प्रवेश द्वार पर गार्ड रूम का निर्माण कराया जाएगा. पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके. सुरक्षाकर्मी के रहने से तालाब मेंटेन रहेगा साथ ही ग्रीन बेल्ट की भी देखभाल होगी. तालाब समेत पूरे एरिया को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जाएगा. सभी सीसीटीवी से 24 घंटे नजर रखी जाएगी. सभी सीसीटीवी की मानीटरिंग भी की जाएगी.

रिटेनिंग वॉल का होगा निर्माण

गंजारी को भव्य बनाने के लिए रिटेनिंग वॉल निर्माण किया जाएगा. यह वॉल ऐसी होगी जो देखने में काफी भव्य होगी. गंजारी में टाउनशिप को डेवलप करने के लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है. तालाब इसीलिए बनाया जा रहा जिस किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने में पानी की क्राइसिस न हो. तालाब में पानी रिचार्ज रहेगा तो आसपास के एरिया में पानी की दिक्कत भी नहीं होगी. तालाब को माडर्न तरीके से डेवलप किया जा रहा है. चारों तरफ पाथवे के डेवलप करने के साथ ही फूडकोर्ट भी बनाया जाएगा. फूडकोर्ट में लोगों के बैठने से लेकर खाने-पीने की सभी तरह की सुविधा रहेगी.

“ गंजारी में माडर्न तालाब को डेवलप किया जा रह है, जिसे नेट जीरो वाटर रिसोर्स की तर्ज पर बनाया जा रहा है. जितना पानी वहां से लेंगे उतना ही पानी तालाब में छोड़ा जाएगा. पूरे तालाब को सोलर पैनल से लैस भी किया जाएगा.

पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए

न्यायाधीश –दि0 29.07.2025

वाविप्रा जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी

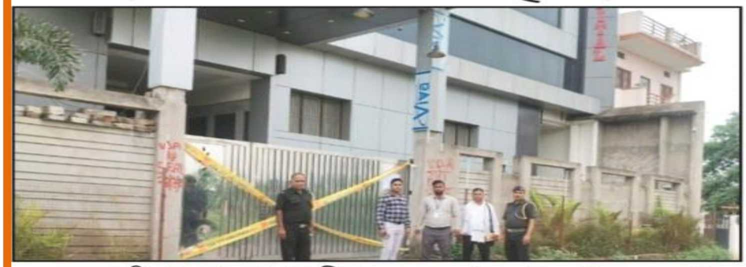

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-नगवां, के अंतर्गत श्री वरूण पाठक व श्री पी0एस0वर्मा द्वारा ए बजरंग नगर के पास डाफी, थाना.लंका में रैनबो हास्पिटल के नाम से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 6000 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्रफल में बी0जी0$+$4 तलों का निर्माण किए जा रहे अवैध निर्माण को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा- 27 (i) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये अतः आज दिनांक 28.07.2025 को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने अभिरक्षा में सौप दिया गया। वार्ड-भेलूपुर, के अंतर्गत मोहम्मद मूसा द्वारा, आराजी सं0-488 व 489, भवन सं0-बी-12/13, गौरीगंज, थाना- लंका में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत लगभग 35' 50 वर्गफीट के भूखण्ड क्षेत्रफल में सेटबैक को कवर करते हुये पीलर खडे़ कर बेसमेंट का निर्माण किए जा रहे अवैध निर्माण को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(1), 28 (ii) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी । परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में बी0जी0$+$4 तलों का निर्माण पूर्ण कर चोरी-छिपे तथा फिनिशिंग आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा था । अतः 28.07.2025 को स्थल को सील कर सम्बन्धित थाने अभिरक्षा में सौप दिया गया।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।